

प्रेसनोट दिनांक 23.03.2024

- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्रा थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शैलेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार नि0 अंगूरीबाग थाना को0नगर अयोध्या। आदि 04 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 2300 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 156/24 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय कुमार प्रजापति पुत्र ढोलई नि0 बढई का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या। आदि 04 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी से 6810 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 104/24 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वीरेन्द्र कुमार पुत्र राजबली नि0 रजौरा थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 117/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. गुलशन यादव पुत्र वंशराम यादव 2. हरिश्चन्द्र पुत्र रामराज कोरी नि0गण नेवाज का पुरवा थाना कुमारगंज अयोध्या दोनों गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली महिलाओं व स्कूली छात्राओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 76/24 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी आरक्षी श्री अनूप चौधरी थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बब्बन रावत पुत्र रामतीथ रावत नि0 मवई थाना मवई अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 51/24 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र छंगा प्रसाद नि0 लोनियन का पुरवा सिंगौली थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 70/24 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 22.03.2024 को वादी उ0नि0 श्री मदन पाल थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि समोखन पुत्र राजाराम नि0 पासिन का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या। गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 71/24 धारा 60(2) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।